उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
14 – अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ – 226001
U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD
(U.P. Govt. Undertaking)
14- ASHOK MARG, SHAKTI BHAWAN, LUCKNOW-226001
CIN: U40101UP1980SGC005065

संख्याः 186–उनिलि / रिफॉर्म / विनियमः196–196.15 / एकाउन्ट्स आफिसर्स / 2021 दिनांकः 12 / 10 / 2021

कार्यालय ज्ञाप

निगम के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में निहित विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत प्राप्त प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम के निदेशक मण्डल की दिनांक 28 सितम्बर, 2021 को सम्पन्न 196वीं बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा आइटम संख्या–196.15 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में एतद्द्वारा उत्पादन निगम में लेखा संवर्ग के उप मुख्य लेखाधिकारी एवं उप महाप्रबन्धक के पदों पर सीधी भर्ती किये जाने के सम्बन्ध में "उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद लेखा (अधिकारी) सेवा विनियमावली–1984 (यथा संशोधित)" के परिषदादेश संख्या–335-Regulation-23/SEB-93-ASR-85 dated 26.02.1994 में उक्त पदों हेतु अद्यतन स्तम्भ–1 के अनुसार उपलब्ध व्यवस्थाओं के स्थान पर स्तम्भ–2 की व्यवस्था एक चयन वर्ष (2021–22) के लिए निम्नानुसार संशोधित की जाती है:–

Source of Recruitment According Existing Regulation	**Regulations hereby substituted**
स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
7. <u>Sources of Recruitment</u> **<u>Group-1(A)Audit and Accounts</u>** 6. <u>Dy. Financial Adviser/ Dy. Chief Accounts Officer/Dy. Chief Audit Officer</u> By promotion from amongst Sr. Account Officer /Sr. Audit Officer who have put in a minimum of 4 years service as such 100%. Provided that after coming in to force of UPSEB Accounts (Officers) service Regulations 1994 recruitment made to the cadre the ratio of 50% by promotion from amongst Accounts Officer/Sr. Audit Officer and 50% by recruitment from amongst special Accounts Officer in accordance with Board's Resolution No. Seven (6), 1983 dated 22.12.83 shall be deemed to have been made in relaxation of the said regulations 1984 in accordance with regulation 38 thereof and shall be valid not withstanding anything contrails in these Regulation.	**7. <u>Sources of Recruitment</u>** **<u>Group-1(A)Audit and Accounts</u>** 6–(i) उपमुख्य लेखाधिकारी के 03 पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्तियां की जायेंगी। (ii) शेष पद, वरिष्ठ लेखाधिकारी पद पर कार्यरत ऐसे कार्मिकों से प्रोन्नति द्वारा भरे जायेंगे, जिन्होंने 04 वर्ष की न्यूनतम सेवा उक्त पद पर पूर्ण कर ली हो।

7. <u>Financial Advisor and/or Chief Account Officer/or Chief Audit Officer</u> By promotion from Dy. Financial Advisor and/or Dy. Chief Account Officer and/or Dy chief Audit Officer who have put in a minimum of 4 years service as such 100%	7–(i) उप महाप्रबन्धक (लेखा) के 01 पद पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति की जायेंगी। (ii) शेष पद, उपमुख्य लेखाधिकारी पद पर कार्यरत ऐसे कार्मिकों से प्रोन्नति द्वारा भरे जायेंगे, जिन्होंने 04 वर्ष की न्यूनतम सेवा उक्त पद पर पूर्ण कर ली हो।
<u>Qualification:</u> (iv) Financial Adviser and/or Chief Accounts officer (DGM-Acctt.) and/or Chief Audit Officer: Chartered/Cost Accountants/SAS (Commercial) drawn from Commercial Audit Board, from other large public Sector Undertakings (Central/State), State Electricity Board, Railways and Defence Accounts Department with at least 08 years experience.	<u>योग्यता/अर्हता (सीधी भर्ती हेतु)</u> :– 1. <u>उप महाप्रबन्धक</u> (i) वेतनमान :– सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत पे–मैट्रिक्स लेवल–13 (रू0 1,31,100–2,16,600) (ii) आयु सीमा:– अधिकतम 50 वर्ष (iii) शैक्षिक अर्हता:– सी0ए0/सी0एम0ए0 (आई0सी0डब्ल्यू0ए0)/एम0बी0ए0 (फाइनेन्स) फुल टाइम अनिवार्य अर्हता होगी। (iv) अनुभव:– सरकारी/सरकार के उपकम अथवा निजी क्षेत्रों के संस्थानों में निर्धारित शैक्षिक अर्हता प्राप्त करने के उपरान्त 15 वर्ष का वित्त, लेखा, सम्प्रेक्षा, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष टैक्सेशन आदि क्षेत्र में अनुभव, जिसमें से न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव रू0 200 करोड़ या अधिक के वार्षिक टर्न–ओवर वाली कम्पनी/संस्थान में अनिवार्य है। (v) सीधी भर्ती हेतु सुरक्षित पदों पर विभागीय कार्मिक आवेदन कर सकेंगें परन्तु उक्त पद पर चयन को पूर्ण रूप से सीधी भर्ती के माध्यम से नई नियुक्ति माना जायेगा। उपरोक्त पद पर नियुक्ति की तिथि से पूर्व में की गयी सेवा (निगम/वाह्य संस्थानों की सेवा हेतु) सम्बन्धी किसी प्रकार के वित्तीय हित लाभ संरक्षित नहीं किये जाऐंगे, परन्तु केवल ग्रेच्युटी/अवकाश सम्बन्धी लाभ हेतु उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 एवं अन्य ऊर्जा निगमों की पूर्व की सेवा अवधि को जोड़ा जायेगा।

	2. उपमुख्य लेखाधिकारी (i) वेतनमान :– सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत पे–मैट्रिक्स लेवल–12 (रू0 1,23,100–2,15,900) (ii) आयु सीमा:– अधिकतम 46 वर्ष (iii)शैक्षिक अर्हता:– सी0ए0 / सी0एम0ए0 (आई0सी0डब्ल्यू0ए0) / एम0बी0ए0 (फाइनेन्स) फुल टाइम अनिवार्य अर्हता होगी। (iv) अनुभव:– सरकारी / सरकार के उपक्रम अथवा निजी क्षेत्रों के संस्थानों में निर्धारित शैक्षिक अर्हता प्राप्त करने के उपरान्त 11 वर्ष का वित्त, लेखा, सम्प्रेक्षा, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष टैक्सेशन आदि क्षेत्र में अनुभव, जिसमें से न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव रू0 200 करोड़ या अधिक के वार्षिक टर्न–ओवर वाली कम्पनी / संस्थान में अनिवार्य है। (v) सीधी भर्ती हेतु सुरक्षित पदों पर विभागीय कार्मिक आवेदन कर सकेंगें परन्तु उक्त पद पर चयन को पूर्ण रूप से सीधी भर्ती के माध्यम् से नई नियुक्ति माना जायेगा। उपरोक्त पद पर नियुक्ति की तिथि से पूर्व में की गयी सेवा (निगम / वाह्य संस्थानों की सेवा हेतु) सम्बन्धी किसी प्रकार के वित्तीय हित लाभ संरक्षित नहीं किये जाऐंगे, परन्तु केवल ग्रेच्युटी / अवकाश सम्बन्धी लाभ हेतु उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 एवं अन्य ऊर्जा निगमों की पूर्व की सेवा अवधि को जोड़ा जायेगा। 3. उप महाप्रबन्धक एवं उपमुख्य लेखाधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के माध्यम् से नियुक्ति हेतु आवश्यक अर्हताओं को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के माध्यम् से चयनित किया जाएगा। साक्षात्कार 100 अंको का होगा।

2– उपरोक्तानुसार ''उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद लेखा (अधिकारी) सेवा विनियमावली–1984 (यथा संशोधित)'' उक्त सीमा तक, चयन वर्ष 2021–22 में उपमुख्य लेखाधिकारी एवं उप महाप्रबन्धक पद पर नियुक्ति के लिए, इस परन्तुक के साथ संशोधित मानी जायेगी कि चयन वर्ष 2021–22 के उपरान्त परिषदादेश सं0–335-

Regulation-23/SEB-93-ASR-85 Dated 26.02.1994 के अनुसार प्रचलित व्यवस्थायें उक्त पदों हेतु स्वमेव पुर्नस्थापित हो जायेगी। इसके अतरिक्त विनियमावली के अन्य समस्त प्राविधान यथावत् रहेंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्याः 186–उनिलि/रिफॉर्म/विनियमः196–196.15/एकाउन्ट्स आफिसर्स/2021 तद्‌दिनाँक ।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0/परियोजना एवं वाणिज्य/तकनीकी/वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ, के निजी सचिव/स्टाफ ऑफिसर।
4. मुख्य अभियन्ता (स्तर–1/स्तर–2) अनपरा/ओबरा/पारीछा/पनकी/हरदुआगंज/जवाहरपुर ताप विद्युत गृह, सोनभद्र, सोनभद्र, झाँसी, कानपुर, अलीगढ, एटा।
5. मुख्य अभियन्ता (मा0सं0), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि., शक्ति भवन, लखनऊ।
6. अध्यक्ष, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 28 सितम्बर, 2021 को सम्पन्न 196वीं बैठक में प्रस्तुत आइटम संख्या –196.15 में लिये गये निर्णय के सन्दर्भ में।
8. अधीक्षण अभियन्ता (मा0सं0–01),उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को ससमय अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु।
9. मुख्य परियोजना प्रबन्धक (प्रगति) टी0 सी0–46/वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
10. कट फाइल।

12/10/21

(तरूण कुमार जैन)
अधीक्षण अभियन्ता (रिफॉर्म)